

हिमाचल प्रदेश सरकार,
मत्स्य विभाग

संख्या/फिश-ए (3)-1/2018 तारीख, शिमला-2

27 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग में फार्म सहायक, दर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न एपाबन्ध-क के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, फार्म सहायक, दर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र/ई गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां। 2. (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: फिश-ए (3)-15/2001 तारीख 23 दिसम्बर, 2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, फार्म सहायक, दर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बाल या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमन्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,


अतिरिक्त मुख्य सचिव (मत्स्य पालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: गिरा-ए (3)-1/2016 शिमला-2.

27/4 2017

प्रतिलिपि :-

1. सहायक निधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
2. संबंधित विधि अधिकारी राजभाषा बण्ड, विधि विभाग (स्क्रीनिंग) सचिवालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला- 171002 ।
3. निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर - 174001, 10 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित।


(अनुराग गुप्ता)
अवर सचिव (मत्स्यपालन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग में फार्म सहायक, वर्ग- III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | पद का नाम : | फार्म सहायक |
| 2. | पद (पदों) की संख्या : | 15 (पन्द्रह) |
| 3. | वर्गीकरण : | वर्ग- III (अराजपत्रित) |
| 4. | वेतनमान : | (i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैंड:-
पे बैंड: ₹ 5910-20200/- जमा
₹ 1900/- ग्रेड दे।
(ii) सविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां :
स्लैब 15-क में दिए गए ब्यारे के अनुसार
₹ 7870/- प्रतिमास। |
| 5. | पद "चयन" है या "अचयन" : | अचयन। |
| 6. | सीधी भर्ती के लिए आयु : | 18 से 45 वर्ष : |

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या सविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या सविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या सविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आभेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात थी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आभेदित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, रथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं :

क) अनिवार्य अहर्ताएं :

किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दत्त जना दो पास हो।

ख) वांछनीय अहर्ताएं :-

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और कोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए निहित आयु और शैक्षिक अहर्ता (अहर्ताएं) प्रोत्तत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :

आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अहर्ताएं : जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 के सामने विहित हैं।

3

9. परीक्षा की अवधि,
यदि कोई हो :

सीधी भर्ती / प्रोन्नति:

(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राथमिकी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश है।

(ख) संविदा के आधार पर सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर अधिवर्षिता के रश्दात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति :
भर्ती सीधो होगी या प्रोन्नति / सैकेण्डमेंट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:

शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति / सैकेण्डमेंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया (श्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमेंट / स्थानान्तरण किया जाएगा :

श्रेणीय शहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जो दसवीं पास हों और जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

- (1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

3

परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के शिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अखिरवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने सर्वर्ग (कांडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I : उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II : उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. जम्मा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोडकू उपमण्डल का जोरुवा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष्, दरकाली और ग्राम पंचायत काशाफत।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के वैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. किन्नौर जिला में उप तहसील कागरु के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त और रेणुकाजी तहसील के मलाड़-मलीना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का जोटा तल पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खग्योल, बनड़ा पटवार वृत्त, बाली घाँकी उपतहसील के गारु गुलैपी, मणिसानी, बनयाड़, थाची, पागी, सोमगाड और खोलामल पटवार वृत्त, पदमर तहसील के झारवाड़, कुटगड़, ग्रामण, देवगड़, टाईला, रोपा, कथोग, सिलह भडबानी, हस्तपुर, मनरोहर, और भटेड पटवार वृत्त, धुलांग तहसील में घिउणी, कालीपर, मानगड, भाव-बागडा, उत्तारी भगल और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण III : उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे—

2

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।

(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नत किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझे जाएंगे/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण - अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझे जाएंगे/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्गंड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेंकेंसीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विरीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हैं या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेंकेंसीज इन द हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विरीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हैं।



(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति नियुक्ति से पूर्व सम्भारक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के परचात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के परचात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक बरीयता अपरिवर्तित रहेगी :

12. यदि किन्हीं प्रोन्नति/ स्थायीकरण चर्चा विद्यमान हो, तो उसकी रचना : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : जैसा विधि द्वारा अवहित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अनेका : किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अनिवार्य अनेका : सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट- I में यथा विनिर्दिष्ट शैली के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अधिकरण/ प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट- I में यथा विनिर्दिष्ट शैली के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/माध्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/ प्राधिकरण द्वारा



16-क

संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए बचन:

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए विवरणों और शर्तों के अधीन की जाएगी।

I

संकल्पना :

- (क) इस शर्तों के अधीन, हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग में फार्म सहायक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आवरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख)

पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी बचन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना :-

निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापिका को, सम्बद्ध भागी अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी बचन आयोग, टमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग)

बचन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II)

संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त फार्म सहायक को ₹ 7610/- की दर से सन्निवेशित निघता संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संवत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बर्तितरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 234/- (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III)

नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी :

निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

3

(IV)

चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (विस्तृष्ट प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हनीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V)

संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हनीरपुर द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(VI)

करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII)

निबन्धन और शर्तें :

(क)

संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 7810/- की दर से निम्न संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे की बराबर होगी) प्रतिमाह संवत्ता की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 234/- की दर से (पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे की तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबन्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/ ध्यान वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) सविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि सविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आवरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) सविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेंडर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पौध दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। सविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। सविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरा सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (पैंतीस दिनों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। सविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एलटीसीआदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। सविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेंडर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेंडर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही सविदा का पर्यावसान (समाप्त) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहाँ पर चिकित्सा अक्षर पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात सविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रक से बाहर हों तो उसके नियन्त्रिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इतत बावत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि सविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए सविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रबलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) सविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर जहाँ कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

28

- (घ) नियमित अन्वर्थी को सरकारों/राजिस्त्रीकृत शिक्षिका व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वरह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अन्वर्थी प्रभाव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेंगी। ऐसी महिला अन्वर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण नविष्ट निधि नियम, पेंशन नियम तथा आधरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ए0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण : सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भगत-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य रिजर्वे वर्गों और अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विशासीय परीक्षा : लागू नहीं।
18. सिथिल करने की शक्ति : जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के अन्तर्गत उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की शक्ति, सिथिल कर सकेंगी।

9

परिशिष्ट-I

1.	लिखित परीक्षा	85 अंक
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित शैली में किया जाना है :-	15 अंक
i)	<p>नतीज और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु यरीयता (अभिमान)</p> <p>(शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 × 0.025 = 1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे)।</p>	2.5 अंक
ii)	सहाय्यता, अधिसूचित निम्न क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित।	01 अंक
iii)	भूमिहीन कुटुम्ब/एक इक्वेटयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राज्य प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	01 अंक
iv)	इस प्रमाण का गैर-नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है।	01 अंक
v)	40 प्रतिशत विकृति/निशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	01 अंक
vi)	एन0एस0एस0 (कम से कम एक वर्ष)/एन0सी0सी0 में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	01 अंक
vii)	सरकार द्वारा समय-समय पर स्थापित ₹40,000/- से कम (समस्त स्रोतों से) वार्षिक आय वाला सी0पी0एल0 कुटुम्ब।	02 अंक
viii)	विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला।	01 अंक
ix)	इकलौती पुत्री/अनाथ	01 अंक
x)	किसी भाव्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छठ मास की अवधि का प्रशिक्षण।	01 अंक
xi)	सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित, अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल 0.05 अंक)।	2.5 अंक

कर्म सहायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक एवं प्राशिक्षी, मत्स्य पालन, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली सविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति

पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

सविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें

इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, मत्स्यपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को तयवा है और प्रथम पक्षकार ने कर्म सहायक के रूप में सविदा के आधार पर निम्नालिखित नियन्त्रण और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है—

1. यह कि प्रथम पक्षकार कर्म सहायक के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह निनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार श्री द्वितीय पक्षकार के साथ सविदा अन्तिम कार्य दिनांक अर्थात् दिन की अवधि में ही पर्यवसित (समाप्त) हो जायेगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा;

परन्तु सविदा अवधि में तर्जनुवर्त अवधार पर विस्तारण/पट्टीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह इमाण पत्र जारी करेगा कि सविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी सविदा नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की सविदा मासिक रकम ₹ 7810/- प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि सविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यभार/आचरण ठीक नहीं गया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दावी होगी।
4. सविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पाँच दिन के विराम अवकाश का हकदार होगा/होगी। सविदा पर नियुक्त महिला को दो जोड़ित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। सविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो

जाने सहित नर्मपात कराने की दशा में प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिभूति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपयुक्त आयसिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलेंडर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलेंडर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्याप्तान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहाँ पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके निवृत्तिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि उपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु परधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त परधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर जहाँ कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
7. अयोग्य अभ्यर्थी को सरकारी/संजिद्धीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त रहनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सामन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी नदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. सविदा पर निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई०पी०एफ०/जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साथ-साथ प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1.

[नाम व पूरा पता]

2.

[नाम व पूरा पता]

[प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर]

1.

[नाम व पूरा पता]

2.

[नाम व पूरा पता]

[द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर]
